Chhatrapati Shahu Ji Maharaj
University, Kanpur

Answer Script Details
Barcode 6217073

Roll No. 23261028043
Total Mark 52/75.00

Exam BACHELOR OF ARTS_ODD EXAM-DEC-24
Subject A060301T - POLITICAL PROCESS IN INDIA

Question wise Mark Summary

Q.No	Mark	Q.No	Mark	Q.No	Mark	Q.No	Mark
1A	4/5	9	9/15				
1B	4/5						
1C	4/5						
1D	3/5						
1E	3/5						
1F	4/5						
1G	4/5						
1HI	2/2						
1HII	2/2						
1I	4/5						
2	0/15						
3	9/15						
4	0/15						
5	0/15						
6	0/15						
7	0/15						
8	0/15						

Date of Exam: 7/01/25 Shift: II nd Room No.: 35
Paper Code: A060301T Subject: Political Year/Sem: 2nd/3rd
Name of Candidate: Devansh Pandey
Roll No. 2 3 2 6 1 0 2 8 0 4 3

Signature of Candidate: Devansh Pandey
Signature of Invigilator
COE Facsimile

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University
Kanpur, Uttar Pradesh

PART-II

MARKS OBTAINED

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(a)										
(b)										
(c)										
(d)										
(e)										
(f)										
(g)										
(h)										
(i)										
(j)										
Total										

Total Marks in Figures | Max. Marks
Total Marks in Words

A 0 6 0 3 0 1 T
Paper Code

Signature of Evaluator

Course: BA
Session: 2024-25 Year/Semester: 2nd/3rd
Subject Name: Political Process in India
Medium: English ○ Hindi ●

Paper Code
A 0 6 0 3 0 1 T

Exam Date
0 7 0 1 2 0 2 5

Name of Candidate
DEVANSH PANDEY

Father's Name
SATYAPRAKASH

महाविद्यालय का कोड
College Code
K N 0 4

परीक्षा केन्द्र का कोड
Exam Centre Code
K N 0 4

परीक्षा का प्रकार
Type of Exam
संस्थागत Regular ● | भूतपूर्व परीक्षार्थी Ex-Student ○
व्यक्तिगत Private ○ | बैक पेपर परीक्षा Back Paper Exam ○

ANSWER BOOKLET NO.
6217073

A 0 6 0 3 0 1 T
Paper Code

नामांकन संख्या
Enrollment Number: C S J M A 2 3 0 0 0 1 0 4 5 1 7

परीक्षार्थी अनुक्रमांक संख्या Candidate's Roll Number
2 3 2 6 1 0 2 8 0 4 3

पेपर कोड Paper Code
A 0 6 0 3 0 1 T

Signature of Candidate: Devansh Pandey

Signature of Invigilator

C S Facsimile

COE Facsimile

नोट- 1. परीक्षार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आवरण पन्ने के पृष्ठ भाग पर अंकित सभी निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। 2. कॉलम में भरी जाने वाली प्रविष्टियाँ बायीं तरफ से शुरू की जायें। 3. गोलों को काले या नीले बॉलपेन से भरा जायें।

INSTRUCTION TO THE CANDIDATE FOR FILLING PART-I

1. Read the instructions carefully given on the answer script and admit card.
2. Write Date of Exam, Shift, Paper Code & Name of Subject Correctly.
3. Write Name & Roll No. Correctly.
4. Write Semester & Branch Correctly.

INSTRUCTION TO THE CANDIDATE FOR FILLING PART-III

1. Use blue or black ball point pen for writing alphabets & numerals in ☐ boxes.
2. Carefully study the example before you start marking.
3. As shown in the example below, blacken thecircles completely.

Correct Method	Incorrect Method
① ● ③ ④	✓ ✗ ● ●

4. Make no Stray marks o n this sheet.

5. DO NOT WRITE OR MARK ON THE BAR CODE.

IN ORDER TO AVOD UFM (UNFAIR MEANS) :

1. The Roll No. and Answer Book no. found elsewhere or any other symbol found in the answer book will be treated as unfair means.
2. Any tempering of Bar Code and Booklet no shall be treated as Unfair Means.
3. Do Not bring the materials like slip of paper/mobile/digital diaries/ study material/ revision notes in examination hall. Possession of the mobiles/ digital diaries/electronic/digital/ watch and any other electronic gadget except memory less scientific calculator shall be considered as UFM case.
4. Do not keep or paste currency note in answer script it shall be consider as UFM.

अनुचित साधन से बचने हेतु :

1. उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान को छोड़कर अनुक्रमांक एवं उत्तरपुस्तिका का क्रमांक कहीं और न लिखे तथा कोई भी चिन्ह न बनायें क्योंकि यह अनुचित साधन प्रयोग की परिधि में आता है।
2. उत्तर पुस्तिका के बारकोड अथवा उत्तर पुस्तिका संख्या पर छेड़ छाड़ करने पर अनुचित साधन प्रयोग माना जायेगा।
3. परीक्षा कक्ष में निम्न वस्तुएं साथ न लायें, जैसे लिखे हुए कागज के टुकड़े, मोबाईल, डिजिटल डायरी, डिजिटल वॉच, कॉपी, पुस्तक यह सभी वस्तुएं जो अनुचित साधन के अन्तर्गत आती है। केवल संबंधित प्रश्नपत्र में ही मेमोरी लेस साइंटिफिक कैल्कुलेटर ले जाने की अनुमन्यता होगी।
4. उत्तर पुस्तिकाओं में करेंसी न रखें न ही उत्तर पुस्तिका में चिपकायें। ऐसा करना अनुचित साधन प्रयोग की परिधि में आता है।

* * *

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. प्रवेश पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पर दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. कवर पृष्ठ के दूसरी तरफ कुछ न लिखें।
3. उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों पर दोनों तरफ लिखें।
4. प्रश्न पत्र पर अपने अनुक्रमांक के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
5. प्रश्न पत्र कोड एवं प्रश्न पत्र ID सावधानी पूर्वक लिखें।
6. अपनी स्थिति स्पष्ट लिखें।
7. उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या देखें। अगर उत्तर पुस्तिका में पृष्ठ (1-24) से कम है या कटे हुए है, तो परीक्षा शुरू होने के पूर्व दूसरी उत्तर पुस्तिका ले लें।
8. प्रश्नपत्र को देख, यदि प्रश्नपत्र के विषय कोड, विषय का नाम तथा प्रश्न में कोई त्रुटि है तो उसके परीक्षा होने के 30 मिनट के अन्दर कक्ष निरीक्षक को तत्काल सूचित करें, उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा कोई का[illegible] नहीं की जायेगी।
9. प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिये पेंसिल का प्रयोग न करें।
10. बी कॉपी या अतिरिक्त ग्राफ नहीं दिया जायेगा।

INSTRUCTION TO THE CANDIDATE

1. Read the instructions carefully given on the Question Paper, Admit Card & Answer Script.
2. Do not write anything on back side of the cover page.
3. Write on both sides of pages of answer book.
4. Do not write anything on question paper except Roll Number.
5. Write Paper Code & Question Paper Id carefully.
6. CHECK the number of pages (1-24) or any other kind of damage in your answer script, if found than change the answer script immediately before the commencement of examination.
7. CHECK the Question Paper for any kind of discrepancy e.g. Subject Code, Su[bject] Name, and Question of the Question Paper during first THIRTY MINUTES of th[e] commencement of the exam, so that it can be corrected in TIME. After that no corrections shall be entertained by the university.
8. Do not use pencil for answering the question.
9. Write status correctly e.g. those appearing in carry over papers should fill in statu[s] as Carry Over. Those appearing as Ex- Students should fill in status as ex.
10. No supplementary answer book & graph paper will be provided.

INSTRUCTION TO THE CANDIDATE FOR FILLING PART-IV

1. Use blue or black ball point pen for writing alphabets & numerals in ☐ Boxes.
2. Use blue or black ball point pen for filling the circles.

	1	8	1	5	4	3	2	1	6	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	●	1	●	1	1	1	1	●	1	1
2	2	2	2	2	2	2	●	2	2	2
3	3	3	3	3	3	●	3	3	3	3
4	4	4	4	4	●	4	4	4	4	4
5	5	5	5	●	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	●	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	●	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	●

Note- If your Roll No. is of 10 digits. Please leave first three columns .

* * *

Paper Code A 0 6 0 3 0 1 T

खण्ड -'अ'

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्नोत्तर क्रमांक-1 (a)

किसी भी राष्ट्र में राजनीतिक ढाँचा दो प्रकार का होता है या तो वह संघात्मक होता है या तो एकात्मक। भारत में संघवाद है एकात्मकता यह अलग अलग राजनीतिज्ञों के विचारों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार भारत में राजनीतिक ढाँचे को के॰सी॰ व्हेयर ने अर्द्धसंघात्मक या अर्द्धसंघवाद माना है।

अर्द्धसंघवाद- भारत के ढाँचे को अर्द्धसंघवाद बताने का तात्पर्य है कि भारत में कुछ विशेषताएँ तो संघात्मक विशेषताएँ है वहीं कुछ अर्द्धसंघात्मक या एकात्मक। अर्द्धसंघवाद को भारत में निम्न तथ्यों द्वारा स्वीकारा जा सकता है।

① शक्तियों का विभाजन परंतु केंद्र अधिक शक्तिशाली।
② आपातकालीन स्थितियों में केंद्र शक्तिशाली।
③ एकल नागरिकता
④ एकल न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय)
⑤ केंद्र और राज्य संबंध

उपर्युक्त विषयों या तथ्यों द्वारा यह सिद्ध होता है कि भारतीय ढाँचा न तो पूरी तरह संघात्मक है न ही एकात्मक। इसमें संघात्मक ढाँचे की विशेषताएँ जैसे कि शक्तियों का विभाजन है वहीं अन्य ओर केंद्र को

Do Not Write anything in this Portion

Paper Code A06030 1T

अधिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं इसके अलावा भारतीय नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह दो नागरिकता नहीं बल्कि एकल नागरिकता ही प्राप्त है और केंद्र राज्य संबंधों द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि भारत में अर्द्ध संघवादी ढाँचा अपनाया गया है।

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1(b)

गठबंधन राजनीति :- भारतीय राजनीतिक तन्त्र में पिछले कुछ वर्षों में एक नयी चेतना जागृत हुई जो गठबंधन को बढ़ावा दे रहा है। यह गठबंधन की राजनीति कुछ जगहों में तो सकारात्मक प्रभाव डालती है वहीं कुछ जगहों में यह नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। इसके नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं।

नकारात्मक पक्ष :-

1) भारतीय राजनीति में बढ़ती गठबंधन की राजनीति योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी ला देती है।

2) राजनीतिक गठबंधन द्वारा किसी भी सामाजिक कार्यों के निर्णय की मंजूरी के साथ-साथ उसके लागू होने में भी समय लगता है।

3) आर्थिक कार्यों के पक्ष में देखें तो ये देश के आर्थिक विकास में भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डलती हैं।

4) गठबंधन के दोषों का प्रभाव राजनीतिक उत्तरदायित्व में भी पड़ता है। प्रशासनीय कार्यों में देरी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

5) गठबंधन से उपजे नए दबाव समूह द्वारा गुटबंदी से भी भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास को हानि होती है।

6) ~~मत~~ गठबंधन की प्रक्रिया किसी योजना के निर्माण या उसमें सहमति बनाने में ही ज्यादा वक्त चला जाता है।

निष्कर्ष:- इस प्रकार गठबंधन की राजनीति संवैधानिक ढाँचे को ही नहीं बल्कि राजनीति के साथ साथ देश की एकता और अखण्डता को भी प्रभावित करती है।

प्रश्नोत्तर क्रमांक:- 1(c)

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व:-

लोकतंत्र में राजनीतिक दल उसी प्रकार जनता और ~~सेतु~~ सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं जैसे मनुष्यों के जीवन के लिए आक्सीजन। क्योंकि ये लोगों की माँगे प्रतिनिधित्व को आगे रखकर उनके हितों में कार्य करते हैं। ये क्षेत्रीय दल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Do Not Write anything in this Portion

राजनीतिक दलों का महत्व निम्नलिखित हैं-

आर्थिक महत्व:- ये राजनीतिक दल लोकतंत्र में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्रियाएं करते हैं पक्ष में दल की उपस्थिति विपक्षी दल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह कार्यों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होती है।

सामाजिक महत्व:- ये राजनीतिक दल समाज में शिक्षा स्वास्थ्य तथा ग्रामों में कृषि के लिए व्यवस्था करना आदि कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

राजनीतिक महत्व:- राजनीतिक दलों के राजनीतिक महत्व के बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि ये लोकतंत्र की राजनीति में एक अग्रणी भूमिका निभाकर प्रगति की ओर ले जाते हैं।

सांस्कृतिक महत्व:- लोकतंत्र में राजनीतिक प्राचीन संस्कृति से लेकर आधुनिक संस्कृति तक ये महत्वपूर्ण सुरक्षण का कार्य करते हैं।

इस प्रकार ये राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1(d)

ग्राम पंचायत :- भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर पर शासन को चलाने के लिए 73 वाँ संविधान संशोधन द्वारा पंचायत का प्रावधान किया गया है। इसमें एक वरीयता द्वारा प्रतिनिधित्वकर्ता का निर्वाचन होता है। इनके गठन में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि प्रधान होता है। यह ग्राम सभा से भिन्न होती है क्योंकि कुछ ग्रामों की पंचायतें मिलकर ग्राम सभा बनाती हैं।

निर्वाचन :- ग्राम पंचायत के प्रमुख के रूप में प्रधान का निर्वाचन होता है इसके लिए प्रतिनिधियों द्वारा अपने प्रचार प्रसार के बाद लोगों द्वारा जनमत होता है अर्थात उस ग्राम के निर्वाचित क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके ग्राम प्रधान का चयन होता है। यहाँ ग्राम सभा द्वारा सूत्रपात किए गए कार्यों के कार्यान्वयन को करता है।

कार्य :- ग्राम पंचायत के प्रमुख के रूप में प्रधान के अनेक कार्य होते हैं जिसमें से कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं वहीं कुछ अनैच्छिक या अनिवार्य काम होते हैं जैसे -
गाँवों में —
(1) सड़क बनवाना , जल की सुविधा उपलब्ध कराना
(2) सड़कों को प्रकाशमय करना
(3) भ्रष्टाचार को रोकना आदि।

Do Not Write anything in this Portion

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1(e)

स्थानीय स्वशासन :- जिस प्रकार केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार की राज्य स्तर पर राज्य सरकार की उसी प्रकार स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक निश्चित क्षेत्र में महत्वपूर्ण या आवश्यकता पूर्ति करके लोगों के लिए लाभ का कार्य करती है।

नगरपालिका :- भारतीयों में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगरपालिका की स्थापना की गई। यह शहरों में विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन करती है। इसी प्रकार इसका निर्वाचन भी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यह शहरों में सड़कों के निर्माण, आवास स्थल उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना, आर्थिक स्थिति को सुधारना आदि कार्य करती है।

महानगरपालिका :- नगरपालिका एक छोटे निश्चित क्षेत्र में होती है वहीं महानगरपालिका एक वृहद स्तर पर होती है जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से अधिक की होती है। इसका भी निर्वाचन वैसे ही होता है। इसके कार्यों में भी नगर पालिका के तरह ही कार्यों को रखा गया है।

नगर पंचायत :- नगर पंचायत एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसका कुछ हिस्सा तो ग्रामीण क्षेत्र होता है जबकि कुछ हिस्सा ~~क्षेत्र~~ शहरी क्षेत्र।

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1(f)

निर्वाचन आयोग :- निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष निर्वाचन कराने वाली संस्था है जो भारत के विभिन्न निर्वाचनों को संपन्न कराती है। यह निर्वाचनों को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराती है उसके कार्यों में सुधार के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम भी पारित किया गया था। इसके कार्य ~~निम्~~ निम्नलिखित हैं -

① निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों का नामांकन -

ये निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है परंतु 20% कम मतदान प्राप्त करने

Paper Code
A 0 6 0 3 0 1 T

वाले राजनीतिक दलों को समाप्त भी करा जाता है

② निष्पक्ष चुनाव करवाना -

निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल यह कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। निष्पक्ष चुनाव करवाना एक कठिन कार्य है जो कि आयोग करवाता है।

③ राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह।-

निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है जोकि उसके प्रचार प्रसार में एक अलग पहचान प्रदान करते हैं

④ कानूनी प्रावधान।-

राजनीतिक पार्टियों के नेता यदि गलत कार्य करके जेल जाते हैं तो उन्हें अगले 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने का कार्य भी चुनाव आयोग का है।

⑤ अधिकार सुनिश्चित करना।-

निर्वाचन आयोग राजनीतिक चुनावी पार्टियों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है।

Paper Code A 0 6 0 3 0 1 T

प्रश्न क्रमांक:- 1(अ)

अलगाव की राजनीति:-

भारत में अलगाव की राजनीति पिछले कई वर्षों से एक नई [illegible] के रूप में उभरकर सामने आयी है जिसमें कोई राजनीतिक दल धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति, क्षेत्र के आधार पर स्वयं को किसी दल से अलग करना या राज्य भी क्षेत्रवाद से प्रभावित होकर अलग होना चाहता है। इसके पीछे कई कारक उत्तरदायी होते हैं जैसे -

आर्थिक कारक:- यह एक प्रमुख कारण है जो किसी दल को अलग होने या राज्य को पृथक होने के लिए प्रेरित करता है। इसमें धन लोलुपता एक अग्रणी भूमिका निभाता है।

धार्मिक कारक:- सांप्रदायिकता भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आयी है जो कि अलगाव को राजनीति को प्रभावित करती है जैसे जम्मू कश्मीर द्वारा अलग संविधान की मांग

सामाजिक कारक:- समाज में जागरूकता की जगह भ्रष्टाचार तथा पद प्रतिष्ठा भी अलगाव को प्रेरित करती है। इससे राज्यों में भी पृथक्करण की मांग उठने लगती है।
उदा.→ उ.प्र. के झाँसी व बुंदेलखण्ड द्वारा पृथक्करण की मांग।

Paper Code A 0 6 0 3 0 1 T

शिक्षा :- शिक्षा भी एक अहम भूमिका निभाती है क्योंकि अशिक्षित समाज स्वाभाविक रूप से अलगाव की माँग करता है।

इस प्रकार अलगाव की राजनीति देश की एकता व अखण्डता के लिए घातक साबित हुई है उदा० उ०प्र० का एक भाग ~~उत्तराखण्ड~~ उत्तराखण्ड का अलग होना।

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 1 (ह)

(i) धार्मिक अधिकार

भारतीय संविधान सभी को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा धार्मिक अधिकारों को प्रदत्त कर किसी के साथ भी भेदभाव को प्रोत्साहन नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद 25 - 28 में धार्मिक अधिकार वर्णित है जोकि मूल अधिकार है। इसके अनुच्छेद में निम्न प्रावधान हैं-

① **अनुच्छेद 25** :- अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है और मानने और प्रचार करने का अधिकार देता है।

② **अनु० 26** :- धर्म के संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

③ अनुच्छेद 27- धर्म के किसी धार्मिक संस्थाओं की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

④ अनुच्छेद 28- धार्मिक उपासना में उपस्थित होने या न होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

(ii) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार

भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों में सांस्कृतिक व शैक्षिक अधि० अनु. 29 और 30 में वर्णित है जो अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए हैं वो निम्नांकित हैं-

अनु० 29- यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।

अनु० 30- भारतीय संविधान के अनु० 30 में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थाओं की स्थापना के लिए अधिकार प्रदान किया गया है।

इस प्रकार, अन्य बहुसंख्यक वर्ग को भी अनु० 21 में शैक्षिक अधिकार प्राप्त है और सांस्कृतिक सुरक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। अनु. ये अधिकार मानवीय मूल्यों में वृद्धि को भी प्रेरित करते हैं।

Do Not Write anything in this Portion

प्रश्नोत्तर क्रमांक:- 1(i)

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार न केवल किसी राष्ट्र की आर्थिक हानि बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हानि में भी योगदान देता है। भ्रष्टाचार का तात्पर्य भ्रष्ट आचरण है दूसरे शब्दों में कहे तो भ्रष्ट का तात्पर्य बुरा और आचरण का तात्पर्य व्यवहार अर्थात् बुरा व्यवहार।

भ्रष्टाचार विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, मनोरंजन आदि। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 भी प्रावधान में है साथ ही साथ "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल" भी अवैध कृत्य बताता है। विश्व बैंक ने भ्रष्टाचार को 6 भागों में बांटा है। कुछ दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार के उदा० निम्नवत है:-

(a) कालाबाजारी
(b) रिश्वत खोरी
(c) गलत विज्ञापन
(d) गलत नाप तौल
(e) काला धन

इस प्रकार भ्रष्टाचार को विश्व बैंक द्वारा भी 6 भागों में बांटा गया है। जो निम्नवत है-

1. प्रशासनिक भ्रष्टाचार
2. राजनीतिक भ्रष्टाचार

③ लोक भ्रष्टाचार
④ निजी भ्रष्टाचार
⑤ लघु भ्रष्टाचार
⑥ वृहद् भ्रष्टाचार

अतः भ्रष्टाचार न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य राष्ट्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बीमारी बनकर उभरा है।

खण्ड-ब
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्नोत्तर क्रमांक:-3

समाज सुधार के कार्य लोकतंत्रीकरण रूपी गाड़ी के चार पहियों में एक पहिए के रूप में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इन कार्यों में समाज में न केवल आर्थिक समृद्धि आती है बल्कि राजनीति के साथ साथ सुधार भी वृद्धि की ओर जाता है। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में संविधान में वर्णित निम्न तत्व भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं -

समानता - विधि के समक्ष, राजनीतिक, आर्थिक आदि

न्याय - राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि

स्वतंत्रता - अभिव्यक्ति, जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि

बंधुत्व - भाईचारे का गुण, समानता, भ्रातृत्व भाव आदि

Do Not Write anything in this Portion

Paper Code A 0 6 0 3 0 1 7

इस प्रकार लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में ~~निम्न~~ उपर्युक्त तत्व महत्वपूर्ण है। इसमें सामाजिक सुधारों में समानता, सामाजिक सुधारों में न्याय, सुधारों में बंधुत्व तथा स्वतंत्रता अग्रणी तत्व हैं।

समाज सुधार से सामाजिक समानता

भारत में उपाजित लोकतंत्र की प्रक्रिया में समाज सुधारों में समानता एक प्रमुख तत्व है। सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों जैसे - छुआछूत खत्म करना, एक समाज में समानता को दिखाता है। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी लाया गया जैसे -

अस्पृश्यता निवारण अधिनियम (1955) - यह कानून लाकर सरकार समाज में सभी समान तबके में लाने में अग्रणी भूमिका निभाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान भी समाज में समानता लाकर लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त मैला ढोने की प्रथा को भी समाप्त किया गया।

मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति। समाज में मैला ढोने वाले व्यक्तियों की सुख व सम्पन्नता का प्रेरक तत्व था सरकार द्वारा मैला ढोने वालों के लिए लाया गया निवारक कानून।

इस प्रकार ~~समाज~~ समाज सुधार में

Paper Code A 0 6 0 3 0 1 7

समानता एक प्रमुख लोकतांत्रिक तत्व है।

समाज सुधार से सामाजिक स्वतंत्रता

सरकार द्वारा समाज सुधार करके सामाजिक स्वतंत्रता को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके माध्यम से समाज में सभी वर्ग समान रूप से अभिव्यक्ति कर सकता है और कहीं भी आ जा सकता है, संविधान में भी इसका प्रावधान मूल अधिकारों में किया गया है-

अनु० 19- यह लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है इसके अलावा संगठन बनाने, कहीं भी आने जाने और संस्था बनाने का भी प्रावधान करता है। सरकार इससे भी समाज सुधार को बढ़ावा देती है।

अनु० 21- संविधान का अनु० 21 भी जीवन का अधिकार देकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है।

अतः सरकार अनेक विधियों (कानूनों) के माध्यम से समाज में सुधार लाकर लोगों के अधिकारों को स्वतंत्रता प्रदान करके लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

समाज सुधार से सामाजिक न्याय:-

समाज में सबसे बड़ी लोकतंत्र में बाधा डालने वाली असमान न्याय या देर से मिलने

Do Not Write anything in this Portion

वाला न्याय है यह लोगों में असंतुष्टि को
उत्पन्न करता है और उन्हें न्यायालय
जाने की ओर प्रेरित नहीं करता है। भारत
में कई ऐसे केस हैं जो कई वर्षों से
जिनकी फाइलें नहीं खुली हैं और वे केस
लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को धीमा करते हैं

डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार -

"यदि पिछले केस खोले गये और एक भी
नया केस न आए तो अगले 100 वर्षों में
भी सभी केस खत्म नहीं होंगे।"

अतः न्याय व्यवस्था में सुधार लोकतंत्रीकरण
के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी
भारत में वरीयता क्रम निश्चित है। जिससे
लोगों को न्याय प्राप्त होता है -

सर्वोच्च न्यायालय
↑
उच्चतम न्यायालय
↑
जिला अदालत

समाज सुधार से सामाजिक बंधुत्व:-

समाज में बंधुत्व भी लोकतंत्रीकरण
की प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है
क्योंकि बिना भ्रातृत्व के लोकतंत्र के आगे
बढ़ने में और नई समस्याएं उत्पन्न होंगी

Paper Code A060 3011

ये समस्याएं केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से संवैधानिक ढांचे को कमजोर करेंगी ये समस्याएँ इसे और धीमा करेंगी।

सरकार द्वारा किये गए विकास से यह प्रतीत होता है कि ... भ्रातृत्व को बढ़ावा दे रही है परंतु राष्ट्र में आने वाली चुनौती के तत्व जैसे संप्रदाय, धार्मिक विचार ये लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को अवश्य ही धीमा करते है।

अतः सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएँ तथा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जैसी विचारधारा ... अवश्य ही लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगी।

प्रश्नोत्तर क्रमांक :- 9

मतदान व्यवहार

मतदान व्यवहार का तात्पर्य उन तत्वों से है जो राजनीति में चुनाव के दौरान लोगों द्वारा दिए जाने वाले मताधिकार को प्रभावित करते है या निर्धारित करते हैं ये तत्व ... एक दल की सरकार को पलटने में ... भी देर नहीं लगाते इन तत्वों का निर्धारण समाज में प्राचीन काल में उपजी कुरीतियों द्वारा ही होता है साथ ही आधुनिक समस्याएं भी उन्हें प्रभावित करती है तत्वों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है-

प्रमुख निर्धारक तत्व -

Do Not Write anything in this Portion

① नेतृत्व (प्रतिनिधि का)
② दल की विचारधारा
③ दल की स्थिरता
④ क्षेत्रवाद
⑤ भाषावाद
⑥ साम्प्रदायिकता
⑦ युद्ध में सफलता
⑧ योजना के क्रियान्वयन में सुधार
⑨ व्यवहारपरकता
⑩ सामाजिक भ्रातृत्व भावना।
⑪ इंटरनेट
⑫ प्रिंट मीडिया

नेतृत्व:- किसी भी राजनीतिक दल का पिछले सत्र में रहा नेतृत्व मतदाता व्यवहार को आवश्यक रूप में प्रभावित करता है। इनका नेतृत्व यदि अच्छा रहा है तो वह पार्टी सरकार बना ले जाती है परंतु यदि नेतृत्व में कमी रही तो वह सरकार नहीं बन पाती।

दल की विचारधारा:-

किसी भी दल की विचारधारा स्वाभाविक रूप से निर्धारित करती है कि वह दल किस ओर झुका हुआ है। जैसे भारत में अनेक दल हैं BJP, CONGRESS इनकी विचारधारा सरकार बनाने में प्रभावित करती है यदि BJP की विचारधारा की बात करें तो वह प्रारम्भ से ही दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और गांधी के सर्वोदय

के सिद्धांत को मानती चली आ रही है वही यदि कांग्रेस की बात करें तो वह नेहरू के समाजवाद और आर्थिक विचारधाराओं से प्रेरित रही है।

दल की स्थिरता :- राजनीतिक दल की स्थिरता भी एक प्रमुख निर्धारक तत्व है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। यदि कोई दल ज्यादा स्थिर है उसमें अधिक दल बदल ही नहीं होता है तो ऐसी संभावनाएं है कि वह अपनी सरकार बना ले।

क्षेत्रवाद :- मतदान में क्षेत्रवाद का अपना अलग ही योगदान रहता है ये तत्व राष्ट्र निर्माण में भी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आते हैं और क्षेत्र के हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरीके को अपनाकर मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं।

भाषावाद :- भाषा के आधार पर चुनावों में मतदान के परिवर्तन के केस तो ज्यादा सामने नहीं आए परंतु फिर भी एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में भाषा के लिए कई संघर्ष लड़ता है जैसे उ० भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत में जाकर संघर्षरत रहता है। अतः भाषावाद भी एक प्रमुख मतदान व्यवहार निर्धारक तत्व है।

सांप्रदायिकता:- भारत में सांप्रदायिकता का जन्म आधुनिक काल की देन है प्रारंभ में स्वतंत्रता से पूर्व चाहे बंगाल विभाजन हो या मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन की मांग। सांप्रदायिकता को वृद्धि देने वाले तत्व रहे हैं। सांप्रदायिकता में धार्मिक लोग यह विचारों में रखते हैं कि वे अपने धर्म के लोगों को ही मतदान करें।

युद्ध में सफलता:- यदि कोई सरकार अपने कार्यकाल में युद्ध में सफल हो जाती है तो वह स्वाभाविक रूप से सरकार बनाने में आगे रहती है। युद्ध में सफलता चाहे 1962 में युद्ध हो या 1971 में बांग्लादेश से युद्ध हो वह सरकार को बनाने में मतदान व्यवहार को प्रभावित करता ही है।

योजना में क्रियान्वयन:- किसी सरकार द्वारा उसके कार्यकाल में लाई गई सफल योजना भी मतदान व्यवहार को निर्धारित करती हैं। अतः सरकार विभिन्न योजनाएं लाकर मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।

भ्रातृत्व भावना:- सरकार यदि सभी के साथ सामाजिक समरसता और भ्रातृत्व भावना के साथ आगे बढ़ती है तो समाज अधिक सुख महसूस करता है

और मतदान व्यवहार प्रभावित होता है।

इस प्रकार मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व मतदान की पक्ष या विपक्ष की ओर मोड़कर सरकार बनाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और ये तत्व राष्ट्र की एकता और अखण्डता को भी प्रभावित करते हैं।

Paper Code

A0 60 30 17

22

Do Not Write anything in this Portion

Paper Code

A0 60 30 1T

Do Not Write anything in this Portion

Paper Code